बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

पत्रांकः ल0सिं0मो0-राज्य योजना-औरंगाबाद/06/2025 1372 पटना, दिनांक- 27/1/25

प्रेषक,

संगीता सिंह, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वाराः- आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में **राज्य योजना** के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, **औरंगाबाद** अन्तर्गत **चाँद विगहा चेक डैम का निर्माण कार्य** हेतु कुल **रूपये 1006.619 लाख (दस करोड़ छः लाख एकसठ हजार नौ सौ रूपये) मात्र** की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेशः- स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में **राज्य योजना** के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, **औरंगाबाद** अन्तर्गत **चाँद विगहा चेक डैम का निर्माण कार्य** हेतु कुल **रूपये 1006.619 लाख (दस करोड़ छः लाख एकसठ हजार नौ सौ रूपये) मात्र** की प्रशासनिक स्वीकृति सरकार द्वारा प्रदान की जाती है । योजना का विवरणी निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1.	**औरंगाबाद**	**चाँद विगहा चेक डैम का निर्माण कार्य**	**मदनपुर**	**1006.619**	**1000**

2. विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन **सक्षम प्राधिकार** द्वारा प्रदत्त है ।
3. इस योजना का क्रियान्वयन राज्य योजना निधि से कराया जायेगा ।
4. इस योजना पर होने वाला व्यय माँग संख्या- 50, मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101 सतही जल, उप शीर्ष-0101-लघु सिंचाई, विपत्र कोड- 50-4702001010101, विषय शीर्ष-53.01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0101 लघु सिंचाई योजना, विपत्र कोड-50-4702007890101, विषय शीर्ष-53.01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत भारित होगा ।
5. राशि का आवंटनादेश उपलब्ध योजना उद्व्यय एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक-17.04.98 एवं 800 वि0(2) दिनांक- 18.09.2008 एवं 3578/वि0, दिनांक-31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

Neetu

6. योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
7. कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी ।
9. **दिनांक-27.01.2025** को संचिका संख्या- **ल0सिं0मो0-राज्य योजना-औरंगाबाद/06/2025** के **पृ0-04/टि0** पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है ।
10. संचिका संख्या- **ल0सिं0मो0-राज्य योजना-औरंगाबाद/06/2025** के **पृ0-..05.../टि0** पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।
11. वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।
12. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, **औरंगाबाद** होगें तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, **पटना** होगें ।
13. राशि की निकासी जिला कोषागार, **औरंगाबाद** से की जायेगी ।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी । उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी । उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा ।

विश्वासभाजन

27/1/25

(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 1372 पटना, दिनांक- 27/1/25

प्रतिलिपिः- वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, **औरंगाबाद**/कोषागार पदाधिकारी, **औरंगाबाद** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

27/1/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 1372 पटना, दिनांक- 27/1/25

प्रतिलिपिः- विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ), पटना/मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, **पटना**/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, **औरंगाबाद** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

27/1/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 1372 पटना, दिनांक- 27/1/25

प्रतिलिपिः- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-03/विभागीय बजट प्रशाखा-02/आई0टी0 मैनेजर/आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

27/1/25

सरकार के अपर सचिव

D:\1\YOJANA 2024-25\RAJYA YOJNA\YOJANA 06-2025 AURANGABAD.DOCX